

प्रति,

नोडल अधिकारी,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म.प्र.भोपाल।

विषय:— FRA प्रमाण पत्र प्रदाय करने बावत्।

-----000-----

विषयांगत निवेदन है, कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत 1.00 हेक्ट. वनभूमि में फर्शी पत्थर उत्खनन की लीज़ अवधि के नवीकरण प्रस्ताव में FRA प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक कार्यवाही बावत् जिला कलेक्टर सागर को लेख किया गया है, पत्राचार की प्रति संलग्न है। FRA प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जावेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही का अनुरोध है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।



दिनेश कटारे S/O परशोतम कटारे
गांधी चौक वार्ड सागर (म.प्र.)

प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर महोदय
(आदिवासी विकास)
जिला सागर म.प्र.

विषय :- सागर जिले में फर्शी-पत्थर उत्खनन नवीनीकरण हेतु 1.00 हे. वनभूमि श्री दिनेश कटारे को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक/8सी/33/2003-एफ.सी.डब्ल्यू./4372 दिनांक 26.11.2007.

—000—

महानुभाव,

निवेदन है कि सागर जिले के वन मंडल उत्तर सागर की आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 113 में से रकवा 1.00 हे. क्षेत्र में फर्शी-पत्थर उत्खनन लीज नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से जारी की गयी थी, स्वीकृत अवधि समाप्त हो चुकी है, आवेदक पुनः स्वीकृत क्षेत्र में लीज नवीनीकरण चाहता है। इसके लिये भारत सरकार की प्रचलित बेब-साईड पर आवेदन किया गया है।

कृपया भारत सरकार के प्रचलित निर्देशों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्वीकृत लीज नवीनीकरण क्षेत्र आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 113 में से रकवा 1.00 हे. के संबंध में वनाधिकार अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदक को प्रदाय करने का कष्ट करें।

स्थान :- सागर

दिनांक :- 22/06/2019

दिनेश कटारे
आवेदक

सागर जिला कलेक्टर
म.प्र.
22.06.19

दिनेश कटारे
गांधी चौक वार्ड, सागर
(म.प्र.)